

# संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950<sup>1</sup>

(सं० आ० 19)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने सम्पृक्त राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 कहा जा सकेगा ।

2. इस आदेश के उपबंधों के अध्वधीन यह है कि वे जातियां, मूलवंश या जनजातियां या जातियों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ, जो कि इस आदेश की अनुसूची <sup>2</sup>[भाग 1 से लेकर भाग <sup>3</sup>[24]] तक में विनिर्दिष्ट है उन राज्यों के संबंध में, जिनसे वे भाग क्रमशः सम्बद्ध जहां हैं, वहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं जो उस अनुसूची के उन भागों में उनके संबंध में विनिर्दिष्ट हैं, अनुसूचित जातियां समझे जाएंगे ।

<sup>4</sup>[3. पैरा 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो हिन्दू <sup>5</sup>[, सिक्ख या बौद्ध] धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ।

<sup>6</sup>[4. इस आदेश में किसी राज्य या उसके किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1 मई, 1976 को यथा गठित उस राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश है ।]

---

<sup>1</sup> विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०नि०आ० 385, तारीख 10 अगस्त, 1950, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1950, भाग 2, खंड 3, पृष्ठ 163 में प्रकाशित ।

<sup>2</sup> अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूची (उपान्तरण) आदेश, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> अंक "21" 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) तत्पश्चात् 2000 के अधिनियम सं० 28 की धारा 19 और तीसरी अनुसूची द्वारा (1-11-2000 से) तथा 2000 के अधिनियम सं० 29 की धारा 24 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (19-11-2000 से) संशोधित होकर उपरोक्त रूप में आया ।

<sup>4</sup> 1956 के अधिनियम सं० 63 की धारा 3 और प्रथम अनुसूची द्वारा पैरा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>5</sup> 1990 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा "या सिक्ख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>6</sup> 1976 के अधिनियम सं० 108 की धारा 3 और प्रथम अनुसूची द्वारा (27-7-1977) से पैरा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>1</sup>[अनुसूची

भाग 1---आन्ध्र प्रदेश

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. आदि आन्ध्र   | 31. मदासि कुरुवा, मदारि कुरुवा        |
| 2. आदि द्रविड   | 32. मादिगा                            |
| 3. अनामुक   | 33. मादिगा दासु, माटीन                |
| 4. आरे माल  | 34. महार                              |
| 5. अरुंधतिय   | <sup>2</sup> [35. माला, माला आयावारु] |
| 6. अरब माल  | 36. माला दासरि                        |
| 7. बारिकी   | 37. माला दासु                         |
| 8. बावुरी   | 38. माला हन्नाइ                       |
| <sup>2</sup> [9. बेड (बुडग) जंगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेडक करीमनगर, वारंगल, खम्माम और नालगोंडा जिलों में)] | 39. माला जंगम                         |
| 10. बिंङ्ल  | 40. माल मस्ति                         |
| <sup>2</sup> [11. बैगारा, बैगारी]   | 41. माला साले, नेट्कानि               |
| 12. चचाटि   | 42. माला सन्यासी                      |
| 13. चलवादि  | 43. मांग                              |
| <sup>2</sup> [14. चमार, मोची, मुचि, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास]  | 44. मांग गारोडी                       |
| 15. चम्भार  | 45. मन्न                              |
| 16. चंडाल   | 46. मष्टि                             |
| 17. डक्कल, डोक्कलवार  | 47. मातंगि                            |
| 18. डंडासि  | 48. मेहतर                             |
| 19. ढोर   | 49. मिताअय्यल्वार                     |
| 20. डोम, डोम्बार, पैडी, पनो   | 50. मुडला                             |
| 21. एल्लमल्वार, येल्लमालवाण्डलु   | 51. पाकि, मोटि, तोटि                  |
| 22. घासी, हड्डी, रेल्लि, चचन्डि   | <sup>3</sup> [52. ****]               |
| <sup>2</sup> [23. गोडागल्ली, गोडागुला (श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापटनम जिलों में)]   | 53. पामिडी                            |
| 24. गोडारी  | 54. पंचम, पेरिया                      |
| 25. गोसंगी  | 55. रेल्लि                            |
| 26. होलया   | 56. सामगार                            |
| 27. होलया दासरि   | 57. सम्बन                             |
| 28. जग्गलि  | 58. सप्रु                             |
| 29. जाम्बुबुलु  | 59. सिंधोल्लु, चिदोल्लु               |
| <sup>2</sup> [30. कोलुपुलुवाण्डलु, पम्बांडा, पम्बाला]   | <sup>4</sup> [60. याताला              |
|   | 61. वल्लुवन । ]                       |

भाग 2---आसाम

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. बांस फर                | 9. कैबर्त, जालिया |
| 2. भुईमाली, माली          | 10. लालबेगी       |
| 3. बृत्तियाल बनिया, बनिया | 11. माहरा         |
| 4. धुपी, धोबी             | 12. मेहतर, भंगी   |
| 5. डुगला, ढोली            | 13. मुचि, ऋषि     |
| 6. हिरा                   | 14. नामशुद्र      |
| 7. जालकेवट                | 15. पटनी          |
| 8. झालो, मालो, झालो-मालो  | 16. सूत्रधार      |

<sup>1</sup> 1976 के अधिनियम सं0 108 की धारा 3 और प्रथम अनुसूची द्वारा (27-7-1977 से) पूर्ववर्ती अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रविष्टि 52 का लोप किया गया ।

<sup>4</sup> 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंतःस्थापित ।

भाग 3--बिहार

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. बांतर   | 12. घासी                             |
| 2. बाउरी   | 13. हलालखोर                          |
| 3. भोगतत   | 14. हाडी, मेहतर, भंगी                |
| 4. भुइया   | 15. कंजर                             |
| 5. भूमिज <sup>1</sup> [* * * *]  | 16. कुरारियार                        |
| <sup>2</sup> [6. चमार, मोची, चमार-रबिदास, चमार रविदास,<br>चमार-रोहिदास, चर्मकार] | 17. लालबेगी                          |
| 7. चौपाल   | 18. मुसाहर                           |
| 8. दबगर  | 19. नट                               |
| <sup>2</sup> [9. धोबी, रजक   | <sup>2</sup> [20. पान, स्वासी, पानर] |
| <sup>2</sup> [10. डोम, धनगड, बांसफोड, धारीकर, धरकार, डोमरा]                      | 21. पासी                             |
| 11. दुसाध, धारी, धरही  | 22. रजवार                            |
|  | 23. तूरी ।                           |

भाग 4--गुजरात

- |   |   |
|---|---|
| 1. अगेर   | 13. हलसार, हसलार, हुलस्वार, हलस्वार   |
| 2. बाकड़, बण्ट  | 14. हौलार, वल्हार   |
| 3. बावा-डेढ, डेढ-साधु   | 15. होलेय होलेर   |
| <sup>2</sup> [4.भाम्बी, भाम्भी, असादरु, असोदी, चमाडिया चमार,<br>चमार-रविदास, चांभार, चमगार, हरलय्या, हरली, खालपा,<br>मचिगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची (केवल डांगस<br>जिला और वलसाद जिले के उमरगांव तालुक में), नालिया,<br>तेलगु, मोची, कमाटी मोची, राणीगार, रोहिदास,<br>रोहित,सामगार] | 16. लिंगादार  |
| <sup>2</sup> [5. भंगी, महतर, ओलगना, रुखी, मलकाना, हलालखोर,<br>लालबेगी, बाल्मीकि, कोरार, झाडमल्ली, बारवाशिया,<br>बारवासिया, जाम्फोड़ा, जम्पाड़ा, जम्पड़ा, रुशी, वाल्मीकि]  | 17. महार, तराल,धेगू, मेगू   |
| 6. चलवादि चन्नय्य   | 18. महायाबंशी, धेढ, धेग वणकर, मरु वणकर, अन्मज   |
| 7. चेन्ना दासर, होलेय दासर  | 19. मांग, मातंग मिणिमादिग   |
| 8. डंगशिया  | 20. मांग-गारुडी   |
| 9. डोर, कक्कया, कंकय्या   | 21. मेघवल, मेघवाल, मेघवार   |
| 10. गरमातंग   | 22. मुक्री  |
| 11. गरोड़ा, गरो   | 23. नाडिया, हाडी  |
| 12. हल्लीर  | 24. पासी  |
|   | 25. सेनवा, शेनवा, चैनवा, सेडमा, रावत  |
|   | 26. शेमलिया   |
|   | 27. थोरी  |
|   | 28. तीरगार, तीरबन्द   |
|   | 29. तुरी  |
|   | 30. तुरी बरोत, डेढ बरोत।  |
|   | <sup>3</sup> [31. बलाही, बलाई   |
|   | 32. भंगी, मेहतर   |
|   | 33. चमार  |
|   | 34. चिकवा, चिकवी  |
|   | 35. कोली, कोरी  |
|   | 36. कोटवाल (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर,<br>झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम,<br>शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में) ] |

<sup>1</sup> 2000 के अधिनियम सं0 30 की धारा 23 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (15-11-2000 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

<sup>2</sup> 2002 के अधिनियम सं0. 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रविष्टि 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2002 के अधिनियम सं0 32 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

भाग 5 --- हरियाणा

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. आद धर्मी   | 19. कबीरपंथी, जुलाहा                |
| 2. बाल्मीकी, चूहडा, भंगी  | 20. खटीक                            |
| 3. बंगाली   | 21. कोरी, कोली                      |
| 4. बराड़, बुराड़, बेराड़  | 22. मरीजा, मरेचा                    |
| <sup>1</sup> [5. बटवाल, बरवाला]   | <sup>2</sup> [23. मजहबी, मजहबी सिख] |
| 6. बोरिया, बावरिया  | <sup>1</sup> [24. मेघ, मेघवाल]      |
| 7. बाजीगर   | <sup>2</sup> [25. नट, बादी ]        |
| 8. भंजड़ा   | 26. ओड़                             |
| <sup>2</sup> [9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी,<br>बलाही, बटोही, भटोही, भांबी, चमार-रोहिदास, जाटव, जटवा,<br>मोची, रामदसिया] | 27. पासी                            |
| 10. चनाल  | 28. पेरना                           |
| 11. डागी  | 29. फरेरा                           |
| 12. डरेन  | 30. सनहाय                           |
| 13. डेहा, दैया, दय्या, डैया   | 31. सनहाल                           |
| 14. धानक  | 32. सांसी, भेडकूट, मनेश             |
| 15. ढोगरी, ढांगरी, सिग्गी   | 33. संसोई                           |
| 16. डूमना, महाशय, डूम   | <sup>2</sup> [34. सपेला, सपेरा]     |
| 17. गगड़ा   | 35. सरडे                            |
| 18. गंढीला, गंडील, गोन्डोला   | <sup>2</sup> [36. सिकलीगर, बारिया]  |
|   | 37. सिरकीबन्द                       |

भाग 6---हिमाचल प्रदेश

- |   |  |
|---|--|
| 1. आद धर्मी   | 30. जोगी                                 |
| 2. बांढी, नगालू   | 31. जुलाहा, जुलाई, कबीरपंथी, कीर         |
| 3. बाल्मीकी, भंगी, चूहडा, चूडा, चूहडे                                     | 32. कमोह, डगोली                          |
| 4. बांधेला  | 33. करोक                                 |
| 5. बंगाली   | 34. खटीक                                 |
| 6. बंजारा   | 35. कोरी, कोली                           |
| 7. बांसी  | 36. लोहार                                |
| 8. बरड़   | 37. मरीजा, मरेचा                         |
| 9. बराड़, बुराड़ बेराड़   | 38. मजहबी                                |
| 10. बटवाल   | 39. मेघ                                  |
| 11. बोरिया, बावरिया   | 40. नट                                   |
| 12. बाजीगर  | 41. ओड़                                  |
| 13. भंजड़ा, भंजड़े  | 42. पासी                                 |
| 14. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी, रामदासिया,<br>मोची | 43. पेरना                                |
| 15. चनाल  | 44. फेडा, फेरेडा                         |
| 16. छिम्बे, धोबी  | 45. रेहाड़, रेहाड़ा                      |
| 17. दागी  | 46. सनहाई                                |
| 18. दडे   | 47. सनहाल                                |
| 19. दर्राई, दरयाई   | 48. सांसी, भेडकूट, मनेश                  |
| 20. दाउले, दावलद  | 49. संसोई                                |
| 21. ढाकी, तूरी  | 50. सपेला                                |
| 22. धानक  | 51. सरडे, सरडेडा, सराडे, सिरयाडे, सरहेडे |
| 23. धाओगरी, धुआई  | 52. सिकलीगर                              |
| 24. धोगरी, धांगरी, सिग्गी   | 53. सिपी                                 |
| 25. डूम, डूमना, डुमने, महाशा  | 54. सिरकीबन्द                            |
| 26. गगड़ा   | 55. तेली                                 |
| 27. गंढीला, गंडील, गोण्डोला   | 56. ठठियार, ठठेरा                        |
| 28. हाली  | <sup>3</sup> [57. बारवाला] ।             |
| 29. हेसी  |  |

<sup>1</sup> 2007 के अधिनियम सं0 31 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रविष्टि 9 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>1</sup>[भाग 6क - झारखंड

1. बांतर
2. बावरी
3. भोगता
4. भुइया
5. चमार, मोची
6. चौपाल
7. डबाजार
8. धोबी
9. डोम, धनगद
10. दुसाध, धारी, धरही
11. धासी
12. हलालखोर
13. हेयर, मेहतर, भंगी
14. कंजर
15. कुरियार
16. लालबेगी
17. मुसहर
18. नट
19. पान, स्वासी
20. पासी
21. रजवार
22. तुरी ]]

---

1. 2000 के अधिनियम सं० 30 की धारा 23 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (15-11-2000 से) अंतःस्थापित ।

भाग 7----कर्नाटक

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. आदि आन्ध्र   | 37. गोडडा                         |
| 2. आदि द्रविड   | 38. गोसंगी                        |
| 3. आदि कर्नाटक  | 39. हल्लीर                        |
| 4. आदीय (कुर्ग जिले में)  | 40. हलसार, हसलार, हुलस्वार, हलस्व |
| 5. आगेर   | 41. हंदी जोगी                     |
| 6. आजिला  | 42. हस्ला                         |
| 7. अनामुक   | 43. हीलार, बलहार                  |
| 8. आर्यमाला   | 44. होलाय, होलेर, होलेय           |
| 9. अरुंथथियार   | 45. होलेयदासरी                    |
| 10. आर्वमाला  | 46. जगली                          |
| 11. बैरा  | 47. जम्बुदुल                      |
| 12. बाकड  | 48. कडैयन                         |
| 13. बंट (बेलगाव, बीजापुर, धारवाड और उत्तरी कनारा जिलों में)   | 49. कल्लादि                       |
| 14. बकुड़ा  | 50. केपमारिस                      |
| 15. बालगाई  | 51. कोलुपुलवाण्डलु                |
| 16. बंडी  | 52. कूसा                          |
| <sup>1</sup> [17. बंजारा, लंबाणी, लम्बाडा, लम्बाडी, लमानी, सुगली, सुकली ]   | <sup>1</sup> [53. कोरचा, कोरचर    |
| 18. बथडा  | 54. कोरमा, कोरवा, कोरवार ]        |
| 19. वेड, जंगम, बुडग जंगम  | 55. कोटंगार, मैत्री               |
| 20. बेल्लारा  | 56. कुडुम्बन                      |
| 21. भंगी, मेहतर, ओलगाना, रुखी, मलकाना हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकि, कोरार, झाडमाली  | 57. कुरवान्ट                      |
| 22. भंबी, भंभी, असादरू, आसोदी, चमडिया, चमार, चम्भार, चामगार, हरलया, हरली, खलपा, मचिगार, मोचिगार, मादार, मादिग, मोची, मुची, तेलगुमोची, कामटि मोची, राणीगार, रोहिदास, रोहित, सामगार | 58. लिंगाडेर                      |
| <sup>1</sup> [23. भोवी, ओड, ओड्डे, वड्डार, वड्डर, वोड्डार, वोड्डर ]   | 59. मचला                          |
| 24. विंडल   | 60. मदारी                         |
| 25. ब्यागरा   | 61. मादिग                         |
| 26. चक्किलियान  | 62. महार, तराल, धेगु मेगु         |
| 27. चलावादी, चलवादी, चनैया  | 63. माहयावंशी, धेड, बणकर मारुबणकर |
| 28. चांडाल  | 64. मैला                          |
| 29. चन्नादासर, होलयादासर  | 65. माल                           |
| 30. दक्कल, दक्कलवार   | 66. मालदासरी                      |
| 31. दक्कलिंगा   | 67. माल हन्नई                     |
| 32. ढोर, कक्कय्या, कन्कय्या   | 68. मालजंगम                       |
| 33. डोम, डोम्बर, पडी, पानो  | 69. मालमस्ती                      |
| 34. एल्लेमलवार, वेल्लम्मलवाण्डलु  | 70. मालसाले, नेतकानि              |
| 35. गंटीचोर   | 71. माल सन्यासी                   |
| 36. गारोडा, गरी,  | 72. मांग मातंग, मिनिमादिग         |
|   | 73. मांग गारुडी, मांग गारोडी      |
|   | 74. मन्ने                         |
|   | 75. मशती                          |
|   | 76. माविलन                        |
|   | 77. मेघवाल, मेंघवार               |
|   | 78. मोगेर                         |
|   | 79. मुक्री                        |
|   | 80. मुंडल                         |

<sup>1</sup> 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रविष्टि 17 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 81. नाडिया, हाडी   |                      |
| 82. नलकडय          | 92. राणीयार          |
| 83. नलकेयव         | 93. सामगार           |
| 84. नायाडि         | 94. सम्बन            |
| 85. पाले           | 95. सपरी             |
| 86. पल्लन्         | 96. सिल्लेकियथस      |
| 87. पम्बाडा        | 97. सिंघोलू, चिंदोलू |
| 88. पंचम           | 98. सुडुगाडुसिद्ध    |
| 89. पन्नियाडि      | 99. तोटि             |
| 90. परइयान, परय्या | 100. तीरगार, तीरबंद  |
| 91. परवन           | 101. वल्लुवन।        |

### भाग 8--केरल

- |  |   |
|--|---|
| 1. 1. आदि आंध्र  | 33. कुडुम्बन  |
| 2. आदि द्रविड  | <sup>2</sup> [34. कुरवन, सिद्धनार, कुरवार, कुरवा, सिधना ]   |
| 3. आदि कर्नाटक   | 35. मैला  |
| 4. आजिला   | 36. मलयन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मालाबार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों में] |
| 5. अरुन्थथियार   | <sup>2</sup> [37. मण्णन, पथियन, पेरुमण्णन, वण्णन, वेलन ]  |
| 6. अय्यमवर   | <sup>3</sup> [38. * * * ]   |
| 7. बैरा  | <sup>2</sup> [39. मोगेर, (मोगेयार से भिन्न)   |
| 8. बकुडा   | 40. मुण्डाला  |
| <sup>1</sup> [9. * * * ]   | 41. नलकेयब  |
| 10. बथडा   | 42. नलकाडय  |
| <sup>1</sup> [11. * * * ]  | 43. नायाडी  |
| <sup>2</sup> [12. भरथर (परथर से भिन्न), परवन]  | <sup>1</sup> [44. * * * ]   |
| <sup>1</sup> [13. * * * ]  | 45. पल्लन   |
| 14. चकिलियान   | 46. पल्लुवन   |
| 15. चमार, मुची   | 47. पाम्बाडा  |
| 16. चांडाल   | 48. पाणन  |
| 17. चेरुमन   | <sup>2</sup> [49. * * * ]   |
| 18. डोम्बन   | <sup>1</sup> [50. परैयन, परयन, साम्बवर, साम्बवन, साम्बवा, परया, परैया, परयार]   |
| <sup>1</sup> [19. * * * ]  | <sup>1</sup> [51. * * * ]   |
| <sup>1</sup> [20. * * * ]  | 52. * * *   |
| <sup>1</sup> [21. * * * ]  | 53. * * * ]   |
| 22. गोसंगी   | <sup>2</sup> [54. पुलयन, चेरमर, पुलया, पुलयार, चेरमा, चेरमान, वयनाद, पुलयान, वयनंदन, पुलयान, माथा, माथा पुलयान]                             |
| 23. हस्ला  | <sup>1</sup> 55. * * *  |
| 24. होलेय  | 56. पुतिरई वण्णन  |
| 25. कडैयन  | 57. राणीयार   |
| <sup>2</sup> [26. कक्कलन, कक्कन]   | 58. सामगार  |
| 27. कल्लाडी  |   |
| <sup>2</sup> [28. कणक्कन, पदन्न, पदन्नन ]  |   |
| <sup>3</sup> [29. * * * ]  |   |
| <sup>2</sup> [30. कवर, (तेलुगु या तमिल भाषी बलिजा, कवरई, गावर, गावरई, गवरई नायडूबलिजा नायडू, गजालू, बलिजा या वलई चेट्टी से भिन्न)] |   |
| 31. कूसा   |   |
| 32. कुटन, कुडन   |   |

<sup>1</sup> 2002 के अधिनियम सं. 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा लोप किया गया ।

<sup>2</sup> 2002 के अधिनियम सं. 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रविष्टि 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2003 के अधिनियम सं. 10 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा लोप किया गया ।

59. सम्बन्ध

<sup>1</sup>[60. सेम्न, चेम्न, चेम्नर ]

<sup>2</sup>[61. तण्डान (उन ईयूवास और तियास को छोड़कर जो तत्कालीन कोचीन और मालावार क्षेत्रों में तण्डान के नाम से ज्ञात हैं) और (बढ़ई जो तत्कालीन कोचीन और द्रावनकोर राज्य में तच्चन के नाम से ज्ञात हैं)]

62. थोटि

63. वल्लोन

64. वल्लुवन

<sup>3</sup>[ 65. \* \* \* ]

66. \* \* \* ]

67. वेटन

<sup>1</sup>[68. वेट्टुवन, पुलया वेट्टुवन (केवल पूर्व कोचीन राज्य के क्षेत्रों में)

69. नेरियन । ]

### भाग 9---मध्य प्रदेश

1. औधलिया

<sup>2</sup>[2. बागरी, बागड़ी, (बागरी, बागड़ी में राजपूत, ठाकुर उपजातियों को छोड़कर)]

3. बहना, बाहना

4. बलाही, बलाई

5. बांछड़ा

6. बरहर, बसोड़

7. वरगूंडा

8. बसोर, बुरूड़, बांसोर, बांसोड़ी, बांसफोड़, बसार

9. बेड़िया

10. बेलदार, सुनकर

11. भंगी, मेहतर, बालमीक, लालबेगी, धरवार

12. भानुमति

13. चंडार

14. चमार, चमारी, बेरवा, भांवी, जाटव, मोची, रैगड़, नोना, रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्य-रामनामी, अहिरवार, चमार मंगन, रैदास

15. चिदार

16. चिकवा, चिकवी

17. चित्तार

18. दहाइत, दहायत, दहात

19. देवर

20. धानुक

21. धेड़, घेड़

22. धोबी (भोपाल, रायसेन और सिहोर जिलों में)

23. डोहोर

24. डोम, डुमार, डोमे, डोमर, डोरिस

25. गांडा, गांडी

26. घासी, घसिया

27. होलिया

28. कंजर

29. कातिया, पथरिया

30. खटीक

31. कोली, कोरी

32. कोतवाल (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में)

33. खांगर, कनेरा, मिर्धा

34. कुचवंधिया

कुम्हार, (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी और टिकमगढ़ जिलों में)

<sup>1</sup>[ 36. महार, मेहरा, मेहर, महरा ]

37. मांग, मांग गरोड़ी, मांग गारूड़ी, दंखनी मांग, मांग महाशी, मदारी, गारूड़ी, राधे मांग

38. मेघवाल

39. मोधिया

40. मुसखान

41. नट, कालबेलिया, सपेरा, नबदिगार, कुबुतर

42. पारधी (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में)

43. पासी

44. रूज्जर

45. सांसी, सांसिया

46. सिलावट

47. झमराल

<sup>4</sup>[48. सरगारा । ]

### भाग 10---महाराष्ट्र

1. अगेर

2. अनामुक

3. आरवा माला

4. आखामाला

5. बहना, बाहना

6. बाकड़, बंट

7. बलाही, बलाई

<sup>2</sup> [8. बसोर, बुरूड़, बांसोर, बांसोड़ी, बासोड़]

9. बेडा जंगम, बुडगा जंगम

10. बेडर

<sup>2</sup> [11. भांभी, भंभी, असादरू, असोदी, चमाड़िया, चमार, चमारी, चंभार, चामगार, हरलय्या, हरली, खलपा, मचीगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, तेलगु मोची, कामाटी मोची, राणीगार, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित, समगर, सामगार, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्य रामनामी, चर्मकार, परदेशी चमार ;

12. भंगी, मेहतर, ओलगना, रूखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मिकी, कोरार, झाड़ माली, हेला]

<sup>1</sup> 2002 के अधिनियम सं 0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रविष्टि 60 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> 2007 के अधिनियम सं 0 31 की धारा 2 द्वारा (29-8-2007 से) प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2002 के अधिनियम सं 0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा लोप किया गया ।

<sup>4</sup> 2002 के अधिनियम सं 0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंतःस्थापित ।



- |  |  |
|--|--|
| 13. बिंदला   | 35. मादगी  |
| 14. ब्यागरा  | 36. मादिगा   |
| 15. चलवादि, चन्नैया  | 37. मार, मेहरा, तराल, धेगु, मेगु   |
| 16. चेन्नादासर, होलाय दासर, होलय दासरी   | 38. माहयावंशी, धेड, वणकर, मारुवणकर   |
| 17. डक्कल, डोक्कलबार   | 39. माला   |
| 18. ढोर, कक्कय्या, कन्कय्या, डोहोर   | 40. मालादासरी  |
| 19. डोम, डुमार   | 41. माल हैन्नै   |
| 20. एल्लमलवार, येल्लम्मलावाण्डलु   | 42. माला जंगम  |
| 21. गंदा, गंदी   | 43. माला मस्ती   |
| 22. गरोडा, गरो   | 44. मालसाले, नैतकानि   |
| 23. घासी, घसिया  | 45. माला सन्यासी   |
| 24. हल्लीर   | 46. मांग, मातंग, मिनिमादिग, दंखगी मांग, मांग-महाशी, मदारी, गारूडी, राधे मांग |
| 25. हलसार, हसलार, हुल्लवार, हलस्वार  | 47. मांग गारोडी, मांग गारूडी   |
| 26. होलार, वलहार   | 48. मन्न   |
| 27. होलया, होलेर, होलेया होलिया  | 49. मशती   |
| 28. कैकाडी (अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाना, नागपुर, वर्धा और यवतमाल जिलों में और राजुरा तहसील को छोड़कर चन्द्रपुर जिले में) | 50. मेघवाल, मेंघवार  |
| 29. कटीया, पठारिया   | 51. मिठा, अय्यलवार   |
| 30. खंगार, कनेरा, मिरधा  | 52. मुक्की   |
| 31. खाटीक, चिकवा, चिकवी  | 53. नाडीया, हाडी   |
| 32. कोलुपुलवाण्डलु   | 54. पासी   |
| 33. कोरी   | 55. सांसी  |
| 34. लिंगादार   | 56. शेनवा, चैनवा, सेडमा, रावत  |
|  | 57. सिंधौलू, चिंदौलू   |
|  | 58. तीरगार, तीरबंद   |
|  | 59. तुरी ।   |

#### भाग 11---मणिपुर

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1. धुपी, धोबी   | 5. पाटनी    |
| 2. लईज          | 6. सूत्रधार |
| 3. मुची, रविदास | 7. येथिबि । |
| 4. नामशुद्र     |             |

#### भाग 12---मेघालय

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. बांसफोड               | 9. कैबर्त, जालिया |
| 2. भुईमाली, माली         | 10. लालबेगी       |
| 3. बत्तियाल बनिया, धनिया | 11. महरा          |
| 4. धुपी, धोबी            | 12. मेहतर, भंगी   |
| 5. डुगला, ढोली           | 13. मुची, ऋषि     |
| 6. हीरा                  | 14. नामशुद्र      |
| 7. जलकेवट                | 15. पाटनी         |
| 8. झालो, मालो, झालो-मालो | 16. सूत्रधार ।    |

भाग 13--उड़ीसा

1. आदि आंध्र
- <sup>1</sup>[2. अमान्त, अमात, दंडछत्र माझी
3. औधेलिया
4. बडैक
5. बाघेटी, बाघुटी
6. बाजीकर
7. बारी
8. बारीकी
9. बासोर, बुरूड
- <sup>1</sup>[10. बाउरी, बुना बाउरी, डसिया बाउरी]
11. बाउटी
12. बाबुरी
13. बेढिया, बेजिया
14. बेलदार
15. भाट
16. भोई
17. चचटी
18. चकली
- <sup>2</sup>[19. चमार, चमारा, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास, मोची, मुची, सतनामी]
20. चांडाल
21. चंदाई मारू
- <sup>3</sup>22. \* \* \*
23. दंडासी
- <sup>1</sup>[ 24. देवर, दीबरा, केउटा, कैबरता ]
25. धनवार
26. धोबा, धोबी
27. डोम, डोम्बो, डुरिया डोम
28. दोसधा
29. गंडा
30. घंटरघड़ा, घंटरा
31. घासी, घसिया
32. घोगिया
33. घुसुरिया
34. गोडागाली
35. गोडारी
36. गोडरा
37. गोखा
38. गोराईत, कोराईत
39. हाड्डी, हाडी, हरी
40. इरीका
41. जगली
- <sup>2</sup>[42. कंडरा, कंडारा, कदम, कुडुमा, कोडमा, कोडामा]
43. कारूआ
44. कटिआ
- <sup>1</sup>[45. केला, सपुआ केला, नलुआ केला, सबखिया केला, मटिया केला]
46. खदाल
47. कोडालो, खोडालार
48. कोरी
49. कुम्हारी
50. कुरुंगा
51. लवाण
52. लाहेरी
53. मदारी
54. मादिग
55. महूरिया
- <sup>1</sup>[56. माला, झाला, मालो, जाला, मल्हा, झोला ]
57. मांग
58. मांगण
59. मेहरा, महार
60. मेहतर, भंगी
61. मेवार
62. मूडपोट्टा
63. मूसहर
64. नगारची
65. नामशूद्र
66. पैड्डी
67. पैण्डा
68. पामीडी
- <sup>1</sup>[69. पाण, पाणों, बुना पाण, देसुआ पाण ]
70. पंचम
71. पणिका
72. पंका
73. पाणतंति
74. पाप
75. पासी
76. पटिआल, पाटीकर, पात्रतन्ति, पटुआ
77. रजना
78. रेल्ली
79. सबाखिआ
80. समासी
81. सनेई
82. सपरी
83. सौतिया, सांतिया
84. सिघरिआ
85. सिंदूरिया
- <sup>1</sup>[86. सियाल, खजुरिया]
87. टमाडिया
88. टमुडिया
89. तानला
- <sup>3</sup>90. \* \* \*
91. दूरी
92. उजीआ
93. बाल्मीकि, बल्मीकि
- <sup>4</sup>[94. मंगली (कोरापुट और कालाहांडी जिलों में)
95. मीरगंज (नवरंगपुर जिले में )]

<sup>1</sup> 2002 के अधिनियम सं० 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रविष्टि 24 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> 2007 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा (29-8-2007 से) प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2002 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया ।

<sup>4</sup> 2002 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. आद धर्मी   | 20. खटीक                             |
| 2. बाल्मीकि, चूड़ा, भंगी  | 21. कोरी, कोली                       |
| 3. बंगाली   | 22. मरीजा, मरेचा                     |
| 4. बरड़, बुरड़, बेरड़   | <sup>1</sup> [23. मजहबी, मजहबी सिख ] |
| <sup>1</sup> [5. बटवाल, बरवाला                                      | 24. मेघ                              |
| 6. बौरिया, बावरिया  | 25. नट                               |
| 7. बाजीगर   | 26. ओड                               |
| 8. भंजड़ा   | 27. पासी                             |
| <sup>2</sup> [9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगढ़, रामदासी, रविदासी, | 28. पेरना                            |
| रामदासिया सिख, रविदसिया, रविदसिया सिख]                              | 29. फेरैरा                           |
| 10. चनाल  | 30. सनहाई                            |
| 11. डागी  | 31. सनहाल                            |
| 12. दड़े  | 32. सांसी, भेड़कुट, मनेश             |
| 13. डेहा, डैया, ढआ  | 33. संसोई                            |
| 14. धानक  | 34. सपेला                            |
| 15. ढोगरी, ढांगरी, सिग्गी   | 35. सरैड़ा                           |
| 16. डूमना, महाशा, डूम   | 36. सिकलीगर                          |
| 17. गगड़ा   | 37. सिरकीबन्द                        |
| 18. गंढीला, गण्डील, गोण्डोला  | <sup>3</sup> [38. मोची]              |
| 19. कबीरपंथी, जुलाहा  | <sup>4</sup> [39. महातम, राय सिख ]]  |

भाग 15--राजस्थान

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. आदि धर्मी  | 18. चांडाल                     |
| 2. अहेरी  | 19. दबगर                       |
| 3. बादी   | 20. धानक, धानुक                |
| 4. बागरी, बागडी   | 21. धानकिया                    |
| 5. बैरवा, बेरवा   | 22. घोबी                       |
| 6. बाजगर  | 23. ढोली                       |
| 7. बलाई   | 24. डोम, डूम                   |
| 8. बांसफोर, बांसफोड़                                    | 25. गांडिया                    |
| 9. बावरी  | 26. गरांचा, गांचा              |
| 10. बर्गी, वर्गी, बिर्गी                                | 27. गरो, गरूड़, गुर्डा, गरोड़ा |
| 11. बावरिया   | 28. गवरियां                    |
| 12. बेड़िया, बेरिया                                     | 29. गोधी                       |
| 13. भांड  | 30. जीनगार                     |
| 14. भंगी, चूड़ा, मेहतर, औलगाना, रूखी, मलकाना, हलालखोर,  | 31. कालबेलिया, सपेरा           |
| लालबेगी, बाल्मीकि, वाल्मीकि कोरार, झाडमाली              | 32. कामड़, कामड़िया            |
| 15. विदाकिया  | 33. कंजर, कुंजर                |
| 16. बोला  | 34. कपाड़िया, सांसी            |
| 17. चमार, भंभी, बंभी, भंबी, जटिया, जाटव, जाटवा, मोची,   | 35. खंगार                      |
| रैदास, रोहिदास, रेगड़, रैगड़, रामदासिया, असादरू, असोदी, | 36. खटीक                       |
| चमादिया, चम्भार, चामगार, हरलया, हराली, खलपा, मचिगार,    | 37. कोली, कोरी                 |
| मोचीगार, मादर, मादिग, तेलगु मोची, कामटी मोची, राणीगार,  | 38. कूच बन्द, कुचबन्द          |
| रोहित, सामगार   |                                |

<sup>1</sup> 2002 के अधिनियम सं 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रविष्टि 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> 2002 के अधिनियम सं 25 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 9 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2002 के अधिनियम सं 25 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>4</sup> 2007 के अधिनियम सं 31 की धारा 2 द्वारा (29-8-2007 से) अंतःस्थापित ।

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 39. कोरिया                                  | 49. पासी            |
| 40. मदारी, बाजीगर                           | 50. रावल            |
| 41. महार, तराल, धेगुमेगु                    | 51. सालवी           |
| 42. माहयावंशी, डेड़, डेड़ा, वणकर, मारु वणकर | 52. सांसी           |
| 43. मजहबी                                   | 53. सांतिया, सतिया  |
| 44. मांग, मातंग, मिनिमादिग                  | 54. सरभंगी          |
| 45. मांग गारोडी, मांग गारुडी                | 55. सरगड़ा          |
| 46. मेघ, मेघवाल, मेघवल, मेंघवार             | 56. सिंगीवाला       |
| 47. मेहर                                    | 57. थोरी, नायक      |
| 48. नट, नुट                                 | 58. तीरगार, तीरबन्द |
|   | 59. तुरी ।          |

**भाग 16--तमिलनाडु**

- |   |  |
|---|--|
| 1. आदि आंध्र  | 30. करिम्पालन  |
| 2. आदि द्रविड   | 31. कावरा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)       |
| 3. आदि कर्नाटक  | 32. कोलियन   |
| 4. आजिला  | 33. कूसा   |
| 5. अरुनददियार   | 34. कूटन, कूडन, (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) |
| 6. अय्यनवर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 35. कुडुम्बन   |
| 7. बैरा   | 36. कुरवन, सिद्धनार  |
| 8. बकुड़ा   | 37. मदारी  |
| 9. बण्डी  | 38. मादिग  |
| 10. बेल्लरा   | 39. मैला   |
| 11. भरतर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)   | 40. माल  |
| 12. चक्किलियन   | 41. मन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)       |
| 13. चलवादि  | 42. माविलान  |
| 14. चमार, मुची  | 43. मोगर   |
| 15. चाण्डाल   | 44. मुण्डाला   |
| 16. चेरुमान   | 45. नलकेयव   |
| 17. देवेन्द्रकुलथन  | 46. नायाडी   |
| 18. डोम, डोम्बारा, पैडी, पानो   | 47. पडन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)      |
| 19. डोम्बन  | 48. पगाडै  |
| 20. गोडागली   | 49. पल्लन  |
| 21. गोड्डा  | 50. पल्लुवन  |
| 22. गोसंगी  | 51. पमवाड़ा  |
| 23. होलेथ   | 52. पानन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)        |
| 24. जग्गाली   | 53. पंचम   |
| 25. जम्बुवुलु   | 54. पन्नाडी  |
| 26. कडइयन   | 55. पन्नयांडी  |
| 27. कक्कलन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 56. परैयन, परयन, साम्बवर   |
| 28. कल्लादि   |  |
| 29. कनक्कन, पाडन्ना (नीलगिरि जिले में)  |  |

- |  |   |
|--|---|
| 57. परवन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)  | 67. थोटी  |
| 58. पथियन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 68. तिरुवल्लुवर   |
| 59. पुलयन, चेरमार  | 69. वेल्लन  |
| 60. पुथिरैवण्णान   | 70. वल्लुवन   |
| 61. राणीयार  | 71. वननन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)       |
| 62. सामगार   | 72. वातिरैयान्  |
| 63. सम्बन  | 73. वेलन  |
| 64. सपरी   | 74. वेटन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)       |
| 65. सेम्मन   | 75. वेट्टियान   |
| 66. तण्डन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 76. वेट्टुवन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) । |

#### भाग 17--- त्रिपुरा

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. बागदी          | 18. केवत                                  |
| 2. भुईमाली        | 19. खादित                                 |
| 3. भुनर           | 20. खारिया                                |
| 4. चमार, मूची     | 21. कोच                                   |
| 5. दानदासी        | 22. कोयर                                  |
| 6. धेनुअर         | 23. कोल                                   |
| 7. घोबा           | 24. कोरा                                  |
| 8. डोम            | 25. कोटाल                                 |
| 9. घासी           | 26. महिष्यदास                             |
| 10. गौर           | 27. माली                                  |
| 11. गुर           | 28. मेहतर                                 |
| 12. जेलेया कैबर्त | 29. मुसहर                                 |
| 13. कहार          | 30. नमोशूद्र                              |
| 14. कालिन्दी      | 31. पाटनी                                 |
| 15. कान           | 32. सबर                                   |
| 16. कण्दा         | <sup>1</sup> [33. धुली, सब्दकार, बाद्यकार |
| 17. कनुह          | 34. नट्टा, नट ]]                          |

#### भाग 18---उत्तर प्रदेश

- |   |  |
|---|--|
| 1. अगरिया <sup>2</sup> [सोनभद्र जिले को छोड़कर] | 13. बनमानुष                                      |
| 2. बधिक   | 14. बांसफोड़                                     |
| 3. बादी   | 15. बरवार  |
| 4. बहेलिया                                      | 16. बंसोड़                                       |
| 5. बगा <sup>2</sup> [सोनभद्र जिले को छोड़कर]    | 17. बावरिया                                      |
| 6. बैसवार                                       | 18. बेलदार                                       |
| 7. बजनिया                                       | 19. बेरिया                                       |
| 8. बाजगी  | 20. भंतू   |
| 9. बलहार  | 21. भुईया <sup>2</sup> [ सोनभद्र जिले को छोड़कर] |
| 10. बलाई  | 22. भुईयार                                       |
| 11. बाल्मीकि                                    | 23. बोरिया                                       |
| 12. बंगाली                                      | 24. चमार, घुसिया, झुसिया, जाटव                   |

<sup>1</sup> 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा प्रविष्टि 33 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा अंतःस्थापित ।

25. चेरो <sup>1</sup>[सोनभद्र और वाराणसी जिलों को छोड़कर]  
 26. दबगर <sup>2</sup>[46. खरवार (बनबांसी को छोड़कर) (देवरिया, बलिया,  
 गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों को छोड़कर)]  
 27. धंगड़  
 28. धानुक  
 29. धरकार  
 30. धोबी  
 31. डोम  
 32. डोमर  
 33. दुसाध  
 34. घरामी  
 35. घसिया  
 36. गोंड <sup>1</sup>[महाराज गंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर,  
 देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर,  
 वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों को छोड़कर]  
 37. ग्वाल  
 38. हबूड़ा  
 39. हरी  
 40. हेला  
 41. कलाबाज  
 42. कंजर  
 43. कपड़िया  
 44. करवल  
 45. खराहा  
 47. खटीक  
 48. खोरोट  
 49. कोल  
 50. कोरी  
 51. कोरवा  
 52. लालबेगी  
 53. मझवार  
 54. मजहबी  
 55. मुसहर  
 56. नट  
 57. पंखा <sup>1</sup>[सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों को छोड़कर]  
 58. परहिया <sup>1</sup>[सोनभद्र जिलों को छोड़कर]  
 59. पासी, तरमाली  
 60. पटरी <sup>1</sup>[सोनभद्र जिले को छोड़कर]  
 61. रावत  
 62. सहारया <sup>1</sup>[ललितपुर जिले को छोड़कर ]  
 63. सनोरिया  
 64. सांसिया  
 65. शिल्पकार  
 66. तुरैहा ।

भाग 19--पश्चिमी बंगाल

1. बागड़ी, दुले <sup>3</sup>[22. हरी, मेहतार, मेहतोर, भंगी, बाल्मीकि]  
 2. बहेलिया  
 3. बायती  
 4. बंतर  
 5. बौरी  
 6. बेलदार  
 7. भोगता  
 8. भुईमाली  
 9. भुइया  
 10. बिन्द  
 11. चमार, चर्मकार, मोची, मुची, रविदास, रूईदास, ऋषि  
 12. चौपाल  
 13. दबगर  
 14. दामाई (नेपाली)  
 15. धोबा, धोबी  
 16. दोयाई  
 17. डोम, धंगड़  
 18. दोसाध, दुसाध, धारी, धारही  
 19. घासी  
 20. गोनदी  
 21. हलालखोर  
 23. जालिया, कैवर्त  
 24. झाली मालो, मालो  
 25. कादर  
 26. कामी (नेपाली)  
 27. कांदरा  
 28. कंजर  
 29. कावरा  
 30. करंगा, कोरंगा  
 31. कौर  
 32. केवट, केयोट  
 33. खैरा  
 34. खटीक  
 35. कोच  
 36. कोनाई  
 37. कोनवार  
 38. कोटाल  
 39. कुरारियर  
 40. लालबेगी  
 41. लोहार  
 42. महार  
 43. माल

<sup>1</sup> 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा प्रविष्टि 46 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2002 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 22 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

- |                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 44. मल्लाह     | 52. पाटनी                  |
| 45. मुसहर      | 53. पोद, पोन्द्रा          |
| 46. नामशूद्र   | 54. राजवंशी                |
| 47. नट         | 55. राजवार                 |
| 48. नूनिया     | 56. शड़की (नेपाली)         |
| 49. पलिया      | 57. सुनरी (साहा को छोड़कर) |
| 50. पान, सवासी | 58. तियर                   |
| 51. पासी       | 59. तूरी                   |
- <sup>1</sup>[60. चेन (माल्दा, मुर्शिदाबाद, नादिया और दक्षिण दीनाजपुर जिलों में) ]]

<sup>2</sup>[ भाग 20--मिजोरम

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. बांसफोर                  | 9. कैवर्त या जालिया |
| 2. भूइनमाली या माली         | 10. लालबेगी         |
| 3. बृत्तियाल-बनिया या बनिया | 11. महरा            |
| 4. धूपी या घोबी             | 12. मेहतर या भंगी   |
| 5. डूगला या ढोली            | 13. मूची या ऋषी     |
| 6. हिरा                     | 14. नामशूद्र        |
| 7. जालकेवट                  | 15. पतनी            |
| 8. झालो, मालो या झालो-मालो  | 16. सूत्रधार ]]     |

<sup>3</sup>[ भाग 21--अरुणाचल प्रदेश

4\* \* \* \*

<sup>5</sup>[ भाग 22--गोवा

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. भंगी (हाडी) | 4. माइयावंशी (बन्कर) |
| 2. चम्भार      | 5. मांग ]]           |
| 3. माहर        |                      |

---

1. 2002 के अधिनियम सं. 25 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।  
2. 1986 के अधिनियम सं. 34 की धारा 13 और पहली अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।  
3. 1986 के अधिनियम सं. 69 की धारा 16 और पहली अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।  
4. 2002 के अधिनियम सं. 61 की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा लोप किया गया ।  
5. 1987 के अधिनियम सं. 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित ।

<sup>1</sup>[ भाग 23 -- छत्तीसगढ़

- |  |   |
|--|---|
| 1. औधेलिया   | 23. डोम, डूमर, डोम, डोमार, डोरिस  |
| 2. बागरी, बागड़ी   | 24. गांड़ा, गांडी   |
| 3. बेहना, बहाना  | 25. घासी, घसिया   |
| 4. बलाही, बलाई   | 26. होलिया  |
| 5. बांछड़ा   | 27. कंजर  |
| 6. बरहार, बसोड़  | 28. कतिया, पथरिया   |
| 7. बरगूंड़ा  | 29. खटीक  |
| 8. बसोर, बुरूड़, बंसोर, बंसोड़ी, बांसफोड़, बसार  | 30. कोली, कोरी  |
| 9. बेड़िया   | 31. खांगर, कनेरा, मिर्धा  |
| 10. बेलदार, सुनकर  | 32. कुचबंधिया   |
| 11. भंगी, मेहतर, बाल्मिकी, लालबेगी, धरकर   | 33. महार, मेहरा, मेहर   |
| 12. भानुमती  | 34. मांग, मांग गरौड़ी, मांग गारूड़ी, दंखनी मांग,<br>मांग महाशी, मदारी, गारूड़ी, राधे मांग |
| 13. चड़ा   | 35. मेघवाल  |
| 14. चमार, चमारी, बेरवा, भांबी, जाटव, मोची, रेगर, नोना, रोहिदास,<br>रामनामी, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्यराम नामी, अहिरवार, चमार, मांगन,<br>रैदास | 36. मोघिया  |
| 15. चिडार  | 37. मुसखान  |
| 16. चिकवा, चिकवी   | 38. नट, कालबेलिया, सपेरा, नवदिगार, कुबुतार  |
| 17. चितार  | 39. पासी  |
| 18. दहैत, दहायत, दाहात   | 40. रूज्जार   |
| 19. देवार  | 41. सांसी, सांसिया  |
| 20. धानुक  | 42. सिलावट  |
| 21. ढेड़, ढेर  | 43. झमराल ]   |
| 22. डोहोर  | <sup>2</sup> [44. तुरी।]  |

<sup>3</sup>[भाग 24 -- उत्तरांचल

- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 1. अगरिया    | 24. चमार, धुसिया, झुसिया, जाटव |
| 2. बधिक      | 25. चेरो                       |
| 3. बादी      | 26. दबगर                       |
| 4. बहेलिया   | 27. घंगड़                      |
| 5. बैगा      | 28. धानुक                      |
| 6. बैसवार    | 29. धरकार                      |
| 7. बजनिया    | 30. धोबी                       |
| 8. बाजगी     | 31. डोम                        |
| 9. बलहर      | 32. डोमर                       |
| 10. बलाई     | 33. दुसाध                      |
| 11. बाल्मिकी | 34. धरमी                       |
| 12. बंगाली   | 35. धारिया                     |
| 13. बनमानुष  | 36. गोंड                       |
| 14. बांसफोड़ | 37. ग्वाल                      |
| 15. बरवार    | 38. हबूड़ा                     |
| 16. बसोर     | 39. हरी                        |
| 17. बावरिया  | 40. हेला                       |
| 18. बेलदार   | 41. कलाबाज                     |
| 19. बेरिया   | 42. कंजड                       |
| 20. भंतू     | 43. कपड़िया                    |
| 21. भूईया    | 44. करवल                       |
| 22. भुइयार   | 45. खरैता                      |
| 23. बोरिया   | 46. खरवार (बनबासी को छोड़कर)   |

<sup>1</sup> 2002 के अधिनियम सं० 28 की धारा 19 और तीसरी अनुसूची द्वारा (1-11-2000 से) अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> 2007 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>3</sup> 2000 के अधिनियम सं० 29 की धारा 24 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (9-11-2000 से) अंतःस्थापित ।



47. खटीक
48. खरोट
49. कोल
50. कोरी
51. कोरवा
52. लालबेगी
53. मझवार
54. मजहबी
55. मुसहर
56. नट
57. पंखा
58. परहिया
59. पासी, तरमाली
60. पतरी
61. सहरिया
62. सनोरिया
63. सांसिया
64. शिल्पकार
65. तुरैहा ]]